up exports as well as heightening domestic sales;

(ii) diversifying production for fabrication of items which have a market including the production of spares which have a repetitive demand;

(iii) forming consortia for taking up contracts on a turn-key basis. One such consortium would be formed as a standing arrangement for meeting the requirements of Steel, structural and Heavy Engineering industries and another for supplying the requirements of power projects. Similar consortia with private sector units wherever feasible would also be formed on an *ad-hoc* basis for taking up turn-key jobs as and when such occasions arise.

Diesel and Electric Trains during Fourth Plan

***106. Shri Swell:**
Shri Kikar Singh:
Shrimati Nirlep Kaur:
Shri Barrow:
Shri Kolai Birua:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce more diesel and electric trains during the Fourth Plan;

(b) if so, the full details of the Scheme; and

(c) the places where the diesel and electric trains are proposed to be introduced?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha. [Placed in *Library*. *See* No. LT-461/67].

आयात नीति

***107. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 1 मई, 1967 को घोषित नई आयात नीति की मुख्य बातें क्या हैं, और इसका कैसा प्रभाव होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अप्रैल 67—मार्च 68 की अवधि के लिए 1 मई 67 को घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अंतर्गत आयात नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विषय में आयात लाइसेंस, छोटे और बड़े पैमाने के दोनों क्षेत्रों में, आवश्यकता पर आधारित होंगे और लगातार दिये जाते रहेंगे ।

(2) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को अब लाइसेंसों के लिए आवेदन करने से पहले अपने प्रशासकीय मंत्रालय से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी । इनके आवेदन पत्र तकनीकी विकास महानिदेशालय के जरिये भेजे जायेंगे ।

(3) कार्यविधी को सरल बनाने की की दृष्टि से कुछ आवश्यक मशीनों के फालतू पुर्जों, जिनके लिये अमेरिकी सहायता शर्तों के अधीन अमेरिका से आयात

के लिए निर्बाध रूप में लाइसेंस दिये जाते थे, अब उस देश से उन्हीं शर्तों पर आयात के लिए उन्हें एक विशेष सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। रोक या प्रतिबन्ध लगी हुई वस्तुओं पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

(4) उपरोक्त (3) में निर्दिष्ट फालतू पुर्जों के रुपया भुगतान क्षेत्र से आयात के लिए भी वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को *लाइसेंस दिये जा सकते हैं।*

(5) खनन उद्योग द्वारा अपेक्षित फालतू पुर्जों के आयात के लिए प्रादेशिक लाइसेंसिंग प्राधिकारी वार्षिक आधार पर लाइसेंस देंगे।

(6) जो वास्तविक प्रयोगकर्ता निर्यातित उत्पादों के आधार पर आयात लाइसेंस मांगते हैं उन्हें आयात की जाने वाली मदों के बारे में और संभरण के स्रोतों के बारे में अधिक स्वतंत्रता होगी।

(7) सुस्थापित आयातकों के लिए आधारभूत अवधि बदल कर समान रूप से वर्ष 1961–62 से 1965–66 कर दी गयी है।

(8) आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र संख्याओं, प्राधिकार पत्रों, प्रतिस्थापन लाइसेंसों, आवेदन फीस आदि के विषय में कार्य-विधि कुछ और सरल बना दी गयी है।

(9) देश में उत्पादन से जो वस्तुएं अब उपलब्ध हैं उनकी सूची को, सम्बद्ध उद्योगों की प्रगति के कारण, बढ़ा दिया गया है और कई मदों को आयात की अनुमेय मदों की सूची से निकाल दिया गया है।

नई आयात नीति के सम्भावित प्रभाव ये होंगे :—

(i) वास्तविक प्रयोगकर्ता कहलाने वाले उत्पादक कारखानों की, जिन्हें उत्पादन के लिये आयातित सामान की आवश्यकता होती है तथा जो आयातकों का सबसे बड़ा वर्ग है, आवश्यकताएं सतत आधार पर पूरी की जायेंगी और उनके लिये आयात लाइसेंस के लिये आवेदन देने की कोई भी अंतिम तिथि नहीं होगी।

(ii) नीति में सबसे अधिक बल उत्पादन—स्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग पर है जिससे अधिक उत्पादन और अततः अधिक रोजगार, अधिक प्रतियोगिता और इसी लिये अपेक्षाकृत उचित मूल्य होंगे और निर्यात की भी अधिक सम्भावना होगी।

(iii) अधिक निर्यात का मतलब है अधिक विदेशी मुद्रा जिसे हमारे उत्पादक कारखाने देश की अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखने के लिये अर्जित कर सकते हैं।

(iv) आशा है कि कुल मिलाकर उद्योगपति, आयात को बनाए रखने के लिये अपेक्षित विदेशी साधनों के उपार्जन के लिये निर्यात के सम्बन्ध में अपने दायित्व को अनुभव करेंगे और व्यापार सन्तुलन को अपने अनुकूल बनायेंगे।